स्थाई लोक अदालत की स्थापना–एक विश्लेषण

कुसुम दीक्षित
डीन, विधि विभाग, आईसेक्ट विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

सारांश
लोक अदालत एक पुरानी धारणा है, भारत का वैधानिक इतिहास यह याद दिलाता है कि प्राचीन भारत में लोक न्यायालयों ने विवादों को सुलझाने में विशेष भूमिका निभाई हैं। ब्रिटिशर ने लोक अदालत को महत्व न देते हुए केन्द्रीय न्याय व्यवस्था की स्थापना की तथा स्थानीय न्यायालयों को रॉयल कोर्ट में तबदील कर दिया गया। ब्रिटिशवासियों की इस नीति ने भारत की लोक न्या. का पतन कर दिया। महात्मा गांधी ने अपने कथन में कहा कि ब्रिटिश न्यायिक तंत्र तथा धीरे–धीरे बढ़ने वाला हैं। महात्मा गांधी ने गांववासियों को लोक अदालत ही एकमात्र सहारा बतलाया हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से धन एवं समय व्यर्थ में अलग से मुकदमें के लिए गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

मुख्यबिन्दु– लोक अदालत, ब्रिटिश आदि

I लोक अदालत की प्रकृति एवं कार्य

लोक अदालत एक ऐसी न्यायालयीन संस्था हैं जो लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए विकसित की गई, इसका मुख्य उद्देश्य यह हैं कि लोगों को सस्ता, सुलभ तथा शीघ्र न्याय दिलाना और इसके साथ ही स्थायी न्यायालयों का कार्य के भार को कम करना।

लोक अदालत की बेंचों में केस वाद का निर्धारण हाईकोर्ट कमेटी के सचिव अथवा तालुका कमेटी के अध्यक्ष द्वारा की जाती हैं। इन्हीं प्राधिकारियों द्वारा लोक अदालत की प्रत्येक खण्डपीठ द्वारा एक सूची तैयार कर लोक अदालत लगने के 10 दिन पूर्व प्रज्ञापित की जाती हैं। लोक अदालत की प्रत्येक खण्डपीठ का यह प्रयास रहता है कि वाद में सुलह तथ समझौता हो जाए, लोक अदालत बल प्रयोग, धमकी तथा किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

II लोक अदालत के उद्देश्य व लक्ष्य

लोक अदालत का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि पक्षकारों को सस्ता और जल्दी न्याय आपसी सुलह, समझौता तथा आपसी चर्चा के पश्चात् हों। लोक अदालत का सार यह है कि लोगों को न्याय आपसी सहमति से प्राप्त हो। लोक अदालत वर्तमान न्याय व्यवस्था का विकल्प नहीं हैं। यह एक वर्तमान न्याय व्यवस्था का अनुपूरक है तथा जल्द से जल्द न्याय प्रदान करता हैं।

III लोक अदालतों द्वारा लिये जाने वाले केस तथा उनके प्रकार (2002 अधिनियम संशोधन द्वारा)

(क) सिविल केस
(ख) राजस्व वाद
(ग) आपराधिक वाद
(घ) बीमा संबंधी
(च) मोटर–वाहन दावा
(छ) जमीनी नाम परिवर्तन
(ज) जमीन पट्टा
(झ) बिजली संबंधी
(ट) वन भूमि
(ठ) बंधुआ मजदूरी
(ड) वैवाहिक तथा पारिवारिक मुकदमें
(ढ) बैंक ऋण संबंधी।

अभी हाल ही में भारतीय संसद द्वारा विधिक सेवा अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया जो यह ध्यान में रखकर लोक अदालत का स्थायी रूप से गठन कर लोगों के मुकदमों का शीघ्र निराकरण हों।

यह संशोधन 1 नवंबर 2002 को अस्तित्व में आया। इस संशोधन में कुछ दोष हैं जो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का तथा स्थाई लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं।

संशोधन अधिनियम 37–2002 में धारा 22–ए जोड़ा गया। कुछ केस को स्थाई लोक अदालत के प्रावधानों में जोड़ा गया वे निम्नलिखित हैं :–

(क) स्थाई लोक अदालत से आशय है जो स्थाई लोक अदालत द्वारा स्थापित (धारा 22 के अंतर्गत खण्ड 6 (1)
(ख) लोक उपयोगी सेवा–
  (i) परिवहन सेवा, यात्री और माल को हवाई मार्ग, समुद्री मार्ग और सड़क द्वारा वहन करना अथवा
  (ii) डाक सेवा, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन सेवा अथवा
  (iii) किसी स्थापना द्वारा जनता को बिजली, पानी की पूर्ति अथवा
  (iv) चिकित्सालय व औषधालय में सेवा, अथवा
  (v) बीमा सेवाएं आदि

IV लोक अदालत के मुख्य गुण

(क) यह महंगी तथा खर्चीली न्याय व्यवस्था से बचाती हैं।
(ख) लोक अदालत द्वारा समय की भी बचत होती हैं, न्याय पाने के लिए समय भी बचत होता हैं।
(ग) लोक अदालत द्वारा न्याय पाये हुए व्यक्ति मुस्कुराकर खुशी–खुशी वापस लौटते हैं परन्तु लोक अदालत की इन गुणों को प्राप्ति में बाधायें हैं और यह बाधाएं लोक अदालत की व्यवस्था व प्रतिकूल हैं।

V लोक अदालत की प्रतिकूल स्थिति

(क) लोक अदालत को लोगों के मुकदमों को शीघ्र निबटाने के लिए अस्तित्व में लाया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि लोक अदालत अस्तित्व में आने से पूर्व ही लोगों की काफी राशि, धन, अधिक मात्रा में न्यायालयीन शुल्क, अधिवक्ता शुल्क

तथा अन्य बहुत से खर्चे पक्षकारों द्वारा वहन किये जा चुके हैं।

(ख) लगभग 90 प्रतिशत वाद लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं जो निम्नलिखित हैं :–
(ग) मोटर वाहन दुर्घटना दावा
(घ) बैंकों के मामले
(च) टेलीफोन बोर्ड संबंधी
(छ) बिजली बोर्ड संबंधी
(ज) नगरपालिका संबंधी
(झ) पंचायत संबंधी।

इन दर्शाए गए सभी मामलों में वादी या प्रतिवादी बैंक, बिजली बोर्ड, नगर निगम आदि प्राकृतिक व्यक्ति नहीं हैं, वे मात्र विधिक व्यक्ति हैं। यहां लोग नौकरशाही द्वारा पीड़ित तथा यातनाओं का सामना करते है।

उन सभी मामलों में लोक अदालत के पहले ही एक अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित कर कम से कम मानदण्डों पर विचार–विमर्श के बाद उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। मानदण्ड निश्चित् होने के बाद इन वादों को डिस्पोज किया जाता है लेकिन यह केस लोक अदालत में रखे जाते हैं तथा ऑकड़े लोक अदालत में हुए फैसलों की सफलता दर्शाते हैं।

बंटवारा संबंधी मामले, साझेदारी, ट्रस्ट, संविदा व अन्य पारिवारिक मामले सामान्यतः लोक अदालत द्वारा नहीं लिये जाते हैं।

तकनीकि मामले भी लोक अदालत द्वारा निर्णित नहीं किये जाते हैं।

आज लोक अदालत आयोजित करना एक प्रतिष्ठा का सवाल है जहां उच्च अधिकारियों की उपस्थिति होना, भोजन तथा फोटोग्राफ आदि तमाम खर्चों का व्यय पांच अंकों में होता हैं।

न्यायाधीश जो लोक अदालत आयोजित करते हैं, वह उच्च अधिकारियों की प्रतिकूल टिप्पणी का अवलोकन करते हैं।

लोक अदालत के आयोजन में धन का व्यय होता हैं तथा इस आयोजन में आर्थिक रूप से तैयारी महत्वपूर्ण होती हैं। इस आयोजन के लिए बार के सदस्यों से धन एकत्रित करना होता हैं तथा जनता को न्यायपालिका के प्रति भरोसा भी कायम रखना पड़ता है।

लोक अदालत के आयोजन के माह पूर्व ही न्यायालयीन कार्य को बीच में विराम देना पड़ता है तथा स्टाफ के सदस्यों को सूची तैयार करने हेतु पर्याप्त समय मिलना होता हैं।

बहुत से केस का पूर्व में ही मीटिंग द्वारा निर्णय हो जाता है, व लोक अदालत में ऐसे केस डिस्पोज हो जाते हैं।

VI लोक अदालत के दोष

दो पक्षों के बीच समझौता और करार पर ही लोक अदालत का मुख्य रूप से आधारभूत हैं। यही मनोदशा या प्रकृति ही लोक अदालत तथा अदालत में मुख्य अंतर हैं।

धारा 22(बी) विधिक सेवा प्राधिकार संशोधन अधिनियम 37 सन् 2002 में केन्द्र व राज्य प्राधिकारों द्वारा स्थाई लोक अदालत की स्थापना के बारे में संशोधन हुआ हैं। धारा 22 ए(बी) में दिये "लोक उपयोगी सेवा" संबंधी मामलों का निराकरण के लिए स्थाई लोक अदालत आवश्यक हैं।

धारा 22(सी) स्थाई लोक अदालत में मामलों के संज्ञान के बारे में दर्शाता हैं। इस धारा में कोई पक्षकार अपने मुकदमें को एक आवेदन द्वारा स्थाई लोक अदालत के सक्षम निराकरण के लिए रख सकता है लेकिन उसकी संपत्ति का मूल्य रूपये 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब एक पक्षकार द्वारा स्थाई लोक अदालत में आवेदन किया जाता है, तब दूसरे पक्षकार द्वारा उस मुकदमें के लिए दूसरे न्यायालय में आवेदन नहीं कर सकता हैं।

स्थाई लोक अदालत इस बात को अस्वीकार करती हैं कि सेक्शन 22ए (बी) में निहित सूची "लोक उपयोगी सेवा" संबंधी सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

सेक्शन 22ए(बी) के अनुसार, स्थाई लोक अदालत का अधिकार लोक उपयोगी सेवा पर है तथा सरकार इस मामले में पक्षकार होती हैं। सी.पी.सी. की धारा 9 के तहत् सरकार अपने पक्षकारों को आवेदन पत्र द्वारा लोक अदालत की ओर आकर्षित कर सकती हैं।

स्थाई लोक अदालत के समझ वाद, अपील के लिए आवेदन किये जाते हैं, वाद, मुकदमें तथा अपील का फैसला होता हैं तथा डिक्री भी प्राप्त होती हैं। लोक अदालत अवार्ड भी पारित करती हैं जो आधा न्याय के रूप में होता हैं, अंत में फैसला किया जाता हैं।

न्यायपालिका द्वारा सी.पी.सी. के तहत् पक्षकारों को उपचार प्राप्त होता हैं जो लोक अदालत के कार्यकारी सदस्यों द्वारा होता हैं, तथा संविधान की 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक किया गया हैं।

सेक्शन 22ई(आई) एक कठोर संक्त खण्ड हैं– जिसमें स्थाई लोक अदालत के अवार्ड अंतिम होते हैं तथा लोक अदालत के अवार्ड सुप्रीम कोर्ट में अपील किये जा सकते हैं। एल. चन्द्रकुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए.आई.आर. 1997 एस.सी.आईआर.एस. के वाद में निहित हैं।

सेक्शन 22ई(वी) स्थाई लोक अदालत द्वारा दिये गये अवार्ड सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यह एक व्यापक सत्य हैं की सिविल कोर्टों द्वारा पालन करने अत्याधिक समय लगता हैं।

VII स्थाई लोक अदालत तथा उपभोक्ता फोरम के मध्य परस्पर विरोधी क्षेत्राधिकार

स्थाई लोक अदालत और उपभोक्ता फोरम के क्षेत्राधिकार लगभग एक जैसे है, जहां तक लोक उपयोगी सेवा का प्रश्न हैं, लोक उपयोगी सेवा के मामले उपभोक्ता फोरम के क्षेत्राधिकार अंतर्गत भी आते हैं तथा अधिकांश लोक उपयोगी सेवा के मामले उपभोक्ता फोरम द्वारा लिये जाते हैं तथा उनका निराकरण किया जाता हैं।

स्थाई लोक अदालत के स्थान पर उपभोक्ता फोरम में मुकदनों का निराकरण गतिपूर्वक होता है।

स्थाई लोक अदालत का निर्माण एस–22 बी ऑफ एल. एस.ए. ए–1987 के अधीन 2002 में संशोधित किया गया जिसमें सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार परस्पर विरोधात्मक स्थिति हैं। सिविल कोर्ट की स्थापना सी.पी.सी. के

अधीन हुई तथ संविधान में आर्ट 226 के अनुसार संवैधानिक उपचार प्रदान किया गया। वह भी इसके अधीन परस्पर विरोधी है।

सेक्शन 22 ए(बी) ऑफ एल.एस.ए. एक्ट, 1987, एक्ट ऑफ 2002 द्वारा संशोधित किया गया जिसमें उपभोक्ता फोरम के क्षेत्राधिकार को अतिव्याप्त किया गया है जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट एक्ट 1861 के पूर्व की स्थिति को प्रचलित करता हैं।

संदर्भ सूची

[1] विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट 1958 भाग–2 पृष्ठ 97

[2] उत्तरप्रदेश विधिक सहायता पूर्व तैयारी समिति प्रतिवेदन 1975 पृष्ठ 180

[3] गुजरात विधिक सहायता समिति रिपोर्ट 1971 पृष्ठ 269

[4] विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 (2)

[5] पंजाब नेशनल बैंक बनाम लक्ष्मीचंद राय ए. आई.आर. 200 म.प्र. 30

[6] विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 (2)

[7] कर्नाटक राज्य लोक शिक्षण

[8] सिविल प्रक्रिया संहित

[9] एल.चन्द्रकुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए. आई.आर. 1997 एस.सी.आई. आर.एस.।